

निर्णय
14.11.2024

2024/106

फर्द अहकाम
(नियम 15)


न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
शिमला आदि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

बनाम

स्टेट

प्रकरण संख्या 52/ वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
12.11.2024	<p>वकील वादीगण द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 13.11.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">CA</p>	
13.11.2024	<p style="text-align: center;">  </p>	
18.11.2024	<p>वृत्तान्त करिबेन उपरिचर। स्टेट लकल सुप्ट उका पहल सुमी मरी पत्रावली का इक्लोकर डिफा गणी पत्रावली पर उपलब्ध रिक्वैरि करि से आधार पर वाद वही डिक्री डिफा जहा है। पूर्ण डिक्री सहित निर्णय अन्त से लिखाय जाकर दामिल कारिल डिफा लखे। पत्रावली मन्टर से काम की लकल क्कडु रक्कीन तकमिल जाहा दामिल दक्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">CA</p>	

